रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 435] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 28, 1972/आश्विन 6, 1894

No. 435] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1972/ASVINA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL GOVT. 23 NOV 19

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 28th September 1972

S.O. 634(E)/15A/IDRA/72.—In exercise of the powers conferred by section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 509(E)/15A/IDRA/72, dated the 28th July, 1972, namely:—

In paragraph 2 of the said Order, for the words "six weeks" the words "twelve weeks" shall be substituted.

[No. F.25(9)/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1972

एस० ओ० 634(अ)/15क/आई० डी० आर० ए०/72.—उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 509(ई)/15क/आई० डी० आर० ए०/72 तारीख 28 जुलाई, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 2 में "6 सप्ताह" शब्दों के स्थान पर "12 सप्ताह" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० 25(9)/72-सी० पू० सो०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972